14/9/23 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी को
फौत हुऐ लम्बा समय बीत चुका है बावजूद
अधि० प्रार्थी द्वारा वारीसन कायमी नहीं कराई
गई। अतः अधि० प्रार्थी द्वारा वारिसन कायमी
नहीं करवाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र इसी स्तर पर अदम पैरवी खारिज किया जाकर
खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नजर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2023.10.23 15:26:24 IST
Reason: SelfAttested